रामगढ़ जिला में गठित Lock down Implementation Task Force की दिनांक–06.04.2020 को आहूत बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

उपायुक्त, रामगढ़।
श्री संजय सिन्हा, उप विकस आयुक्त, रामगढ़।
श्री जुगनू मिंज, अपर समाहर्त्ता, रामगढ़।
श्री अनन्त कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़।
श्री के०के० राजहंश, जिला परिवहन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्त्ति, पदाधिकारी, रामगढ़।
श्री आबिद हुसैन, कार्यपालक दण्डाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, नजारत उप समाहर्त्ता, रामगढ़।

Lock down Implementation Task Force की दिनांक–06.04.2020 को बैठक आहूत की गई, जिनमें निम्नांकित निर्देश दिये गये :–

(1) Lock down Implementation Task Force द्वारा दिये गये निदेश का सख्ती से अनुपालन करने पर बल दिया गया तथा इस सम्बन्ध में यह आदेशित किया गया कि– सभी लोगों को 2 मीटर से अधिक की दूरी बना कर Social Distance का पालन करना है, इसे सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी तथा जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़)

(2) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Home Delivery को e-commerce के द्वारा प्रमोट करने का उल्लेख किया गया है। Home Delivery से सामग्रियों की आपूर्ति हाने पर लोगों को घर से बाहर जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी, जिससे चौक–चौराहों पर भींड़ को कम किया जा सकेगेा। रामगढ़ जिले में यह कदम जिला प्रशासन द्वारा पहले ही उठाया गया है तथा Home Delivery हेतु विभिन्न दुकानदारों की सूची समाचार पत्रों के माध्यम एवं Twitter से एवं प्रचार–प्रसार कर आमजनों को अवगत कराया गया है। उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा निदेश दिया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक वस्तुओं यथा–गैस की रिफिलिंग, घर–घर राशन की उपलब्धता, दूध की उपलब्धता तथा सब्जी की उपलब्धता हेतु उक्त सभी विक्रेताओं की सूची मोबाईल नम्बर के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ व जिला आपूर्ति पदाधिकारी बनाना सुनिश्चित करेंगे। इसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी सर्कुलेट करेंगे। ज्यादा–से–ज्यादा लोगों को Home Delivery का लाभ पहुँचाना एवं उसकी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।

(अनुपालन–अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी तथा जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी)

(3) उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा कहा गया कि शहरी एवं ग्रामीण सभी क्षेत्रों में सब्जी दुकानों को पूर्व में चिन्हित किये गए मैदान/ग्राउण्ड में शिफ्ट किया गया तथा 2 मीटर की दूरी पर Paint से घेरा बनाकर Social Distancing का अनुपालन दुकानदारों तथा ग्राहकों के बीच कराना सुनिश्चित करेंगे। पशुचारा के संदर्भ में निदेश दिया गया कि पशुचारा के लिए जिला मे जो लोकेशन निश्चित है, उसी लोकेशन पर उसकी बिक्री की जायेगी तथा Paint से घेरा बनाकर 2 मीटर का Social Distancing सुनिश्चित करना होगा। इसका प्रचार–प्रसार भी आवश्यक है। सभी सब्जी, फल बिक्रेता को अनिवार्य रूप से मास्क उपलब्ध करायेगें तथा सभी प्रखण्ड में मास्क एवं सेनेटाईजर उपलब्ध करा दिया गया है।

(अनुपालन–सूचना एवं जन सम्पर्क पदा0/ अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी)

(4) सभी Front line के कर्मी यथा–डॉक्टर, इंसीडेन्ट कमाण्डर, पुलिस, सेविका–सहायिका तथा अन्य कर्मी जो Covid-19 से लड़ने का कार्य कर रहे हैं, को बचाव के उपकरणों यथा मास्क सैनिटाईजर आदि पूर्व सेही जिले में उपयोग करने का निदेश दिय गया है व प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध भी करा दिया गया इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–NDC/MOIC, रामगढ़।)

(5) Covid-19 महामारी से स्वयं को और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु घरों से कम निकलने की सलाह हेतु प्रचार–प्रसार के माध्यम से आम लोगों तक पहूंचाया जा रहा है। Quarantine के लिए जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (DIO), रामगढ़ को पूर्व में ही Bulk Massage तैयार करने का निदेश दिया गया है उसके माध्यम से आमजनों तक यह संदेश प्रचारित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़।)

(6) Lock down की अवधि में Social Distancing का Norms को अनुपालन कराने के साथ–साथ कोरेन्टाईन किये गये लोग घर से बाहर नहीं निकलें, यह भी सुनिश्चित करना है। इसे सुनिश्चित करने के लिए लोगों की सहभागिता जरूरी है। इसका प्रचार–प्रसार करना आवश्यक होगा। साथ–ही किसी भी तरह के उल्लंघन को Toll Free No.-1950/जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या–06553–261522 पर रामगढ़ की आम जनता सूचना दे सकते हैं। इसका प्रचार–प्रसार विभिन्न मैसेज बनाकर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी विभाग तथा जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी)

(7) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशि लोगों के खाते में आ गई है। इस राशि की निकासी के क्रम में बैंको/ए०टी०एम० में भी भीड़ हों सकती है। इस निमित्त Social Distancing का अनुपालन कराने हेतु बैंकिंग संस्थानों को जवाबदेह बनाया जाता है। इस हेतु LDM, Ramgarh की यह व्यक्तिगत जवाबदेही है कि वे जिले सभी बैंक शाखाओं एवं सभी ए०टी०एम० में 48 घंटे के अन्दर Paint से घेरा बनाकर 2 मीटर का Social Distancing का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ व पुलिस कर्मी इसकी निगरनी करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–एल०डी०एम० तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़।)

(8) जिले में जितने भी Quarantine Centre बनाये गये हैं, उनमें Social Distancing का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु प्रभारी पदाधिकारी व पुलिस कर्मी तैनात किये गये है।

(अनुपालन– Quarantine Centre टास्क फोर्स एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़)

(9) ANM/आंगनबाडी कर्मी/ सहिया आदि के द्वारा House-to-House survey कराया जा रहा है। सर्वे के अन्तर्गत जिस किसी भी नागरिक में खांसी, कफ अथवा बुखार इत्यादि के लक्षण नजर आते हैं तो सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर Quarantine कराते हुए टेस्ट कराना सुनिश्चित करायेगे। इसके लिए स्वयं सिविल सर्जन व MOIC जिम्मेवार होगे।

(अनुपालन–सिविल सर्जन, रामगढ /जोनल पदाधिकारी व प्रखण्ड विकास पदधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।)

(10) चूंकि Covid मरीज बिल्कुल लक्षणरहित भी हो सकते है, अतः प्रचार–प्रसार एवं एस०एम०एस० के माध्यम से भी आमजनों के बीच यह प्रचारित करना आवश्यक होगा कि उन्हे मास्क पहनना अनिवार्य है। वे घरेलु तैयार किये गये मास्क ~~अथवा थ्री लेयर~~ के कपड़ों से मास्क बनाकर नाक एवं मुंह को ढंक कर रखेगें।

(अनुपालन–जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी/सिविल सर्जन, रामगढ़।)

(11) Lock down के नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध Disaster Management Act 2005 के सुसंगत धाराआं एवं IPC के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, रामगढ़)

(12) सामग्रियों के ट्रक आदि से परिवहन हेतु ड्राईवर एवं एक सपोर्टिंग स्टॅाफ को पास निर्गत किय जाना है। इस सम्बन्ध में सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–462, दिनांक–04.04.2020 के द्वारा मालवाहक वाहनों के परिचालन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि किसी मालवाहक वाहन में चालक एवं एक अन्य व्यक्ति के अलावा किसी और को, किसी भी परिस्थिति में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। चालक के पास वैध लाईसेंस एवं साथ में चल रहे उक्त व्यक्ति का पहचान पत्र चालक के पास होना अनिवार्य है। इन दोनों के बारे में समुचित जानकारी वाहनस्वामी के पास रहना अनिवार्य है। मालवाहक वाहनों में इन दो व्यक्तियों के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति पाया जाता है तो तुरन्त उसे पकड़कर नजदीक के Quarantine Centre में रखने तथा उस व्यक्ति एवं सम्बन्धित

वाहन चालक के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाय। इसका अनुपालन सभी थाना प्रभारी कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला से इस संबंध में विस्तृत अदेश निर्गत किये गयें है।

(अनुपालन–जिला परिहवन पदाधिकारी तथा सभी थाना प्रभारी, रामगढ़।)

(13) शहरों एवं ग्रामों में स्थानीय स्तर पर सभी किराना/राशन दुकानदारों, दवाई दुकानदारों को न्यूनतम 12 घंटे (9 ए०एम० से 9 पी०एम०) के लिए अपना दुकान प्रतिदिन खोलना अनिवार्य है। इस हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी उक्त दुकानदारों की एक सूची बनायेगे तथा दुकानों पर Paint से घेरा बनकार न्यूनतम 2 मीटर का Social Distancing ग्राहकों के बीच बनाये रखना सुनिश्चित कराते हुए से पास निर्गत कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़)

(14) उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि सभी स्कूलो में छात्रो के लिए मध्याह्न भोजन का राशन घर–घर पहुंचाने का निर्देश है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों को उनके घर पर ही मध्याह्न भोजन का राशन प्राप्त हो।

(अनुपालन– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी)

(15) जिला के सभी लोगों के द्वारा अपने आस–पास के दुकानों से ही खाद्यन्न सामाग्री/किराना सामान प्राप्त करने हेतु प्रचार–प्रसार करना आवश्यक है। तीन–चार दिनों में एक ही बार इस हेतु बाहर निकलेंगे।

(अनुपालन–जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़।)

(16) फल/सब्जी की बिक्री हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी खुला स्थान चिन्हित कराना सुनिश्चित करेंगे तथा दो दुकानों के बीच न्यूनतम 15 फीट की दूरी बनाया जाना भी सुनिश्चित करेंगे तथा वहां Social Distancing का अनुपालन कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़।)

(17) हाट, बाजार, बैंक इत्यादि के भीतर और बाहर Social Distancing का अनुपालन करने के लिए उनमें प्रवेश के लिए अधिकतम व्यक्ति की सीमा निर्धारित हो। उनके बाहर जमीन पर गोल घेरे या पंक्ति खींचकर Social Distancing सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/LDM।)

(18) वैसी संस्थाएँ/कार्यालय जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या–40–3/2020–DM दिनांक–30.03.2020 के आलोक में Exempted category में रहने के कारण खुले हों, जैसे अस्पताल, आवश्यक वस्तु सप्लाई चेन, पुलिस, आपदा प्रबंधन कार्य इत्यादि, उन सभी में भी सामान्य क्रियाकलापों के दौरान भी Social Distancing का पूर्ण पालन हो, इसे सुनिश्चित करायें। इस हेतु जांच टीम बनाकर समय–समय पर निरीक्षण/ Counseling / कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़।)

(19) लॉकडाउन की अवधि में किसी दूसरे राज्य व जिले से नागरिकों के आने–जाने पर पूर्ण पाबंदी सुनिश्चित करेंगे। केवल अधिकृत व पास वाले व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व Incident Commander जांच करवा कर न्यूनतम आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन–अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़।)

(20) इस बात का भी जिक्र किया गया कि दूसरे राज्यों से लोग मालवाहक गाड़ियों में भरकर रात में झारखण्ड पहुंच रहे है। ऐसे भी व्यक्तियों के उपर विशेषकर इसमें शामिल दलाल किस्म के लोगों पर Disaster Management Act (DMA), 2005 एवं IPC Section के तहत् कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सभी अर्न्तजिला check नाका पर मालवाहक गाडी व Ambulance की जांच अनिवार्य रूप से करें कि आनाधिकृत लोगों को ढोया तो नही जा रहा है। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी सख्ती से इसका अनुपालन काराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी थाना प्रभारी, रामगढ़ जिला)

(21) कभी–कभी यह देखा जाता है कि कतिपय Front line पदाधिकारी/कर्मचारी Social Distancing के Norms का पालन नहीं करते हुए समूह में इकट्ठा रहते है। ऐसे सभी पदाधिकारी/कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि Social Distancing Norms का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़।)

समय–समय पर इसकी समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी।

विश्वासभाजन

9/4/2020

उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक : 416 /सा० रामगढ़, दिनांक : 09/04/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, रामगढ़/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़/जिला परिवहन पवदाधिकारी, रामगढ़/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़/सिविल सर्जन, रामगढ़/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/LDM, रामगढ़/ संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ/अनुण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़/अनुण्डल पुलिस पदाधिकारी, पतरातू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी थाना प्रभारी, रामगढ़ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

9/4/2020

उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक : 416 /सा० रामगढ़, दिनांक : 09/04/2020

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग(आपदा प्रबंधन विभाग), झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ समर्पित।

9/4/2020

उपायुक्त,
रामगढ़।